# राजस्थान सरकार
## सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग

प0 13(15)सा.प्र./ग्रुप–3/1983 पार्ट जयपुर,दिनांक 28 सितम्बर, 2012

**–: परिपत्र :–**

विषयः– कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.9.2011 के अनुसार की जाने वाली रिव्यू डीपीसी/डीपीसी के संबंध में पदौन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिये अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किये की अनिवार्यता में छूट प्रदान करने बाबत ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 13(15)सा0प्र0/3/83 दिनांक 25.10.83 तथा सहपठीय परिपत्र दिनांक 16.3.2001 एव 29.5.2005 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत विभिन्न संवर्गो के सीधी भर्ती/पदौन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों के लिये अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया हुआ है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.8.2012 की पालनार्थ कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.9.11 के अनुसार सभी संवर्गो की वरिष्ठता सूचियॉ एवं पदौन्नतियॉ दिनांक 25.10.12 तक किये जाने के लिये कार्मिक विभाग ने उनकी अशा.टीप कमांक प0 4(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./2006 दिनांक 12.9.12 के द्वारा निर्देशित किया है ।

उक्त परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्वतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.8.12 की पालनार्थ कार्मिक विभाग द्वारा जारी **अधिसूचना दिनांक 11.9.11 को दृष्टिगत रखते हुये रिव्यू डीपीसी/डीपीसी के माध्यम से पदौन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों के लिये अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता में तीन माह के लिये छूट प्रदान की जाती है** । यह छूट सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर लागू नहीं होगी अर्थात सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये पूर्वानुसार अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

अतः समस्त विभागाध्यक्षगण (जिला कलक्टर सहित) से अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिशा निर्देशों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अविलम्ब सूचित कराये जाने की व्यवस्था करावें । कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान कराबें ।

(चन्द्र मोहन मीना)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव,/अति.मुख्य सचिवगण,राजस्थान जयपुर ।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण ।
4. समस्त संभागीय आयुक्तगण, राजस्थान ।
5. समस्त विभागाध्यक्षगण (जिला कलक्टर सहित) ।
6. आयुक्त, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

(राजीव जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. सचिव, लोकायुक्त राजस्थान, जयपुर ।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर ।
5. पंजीयक, राज.सिविल सेवा अपील अधिकारण, जयपुर ।
6. पंजीयक, राज0 उच्च न्यायाल, जोधपुर/जयपुर ।

(राजीव जैन)
शासन उप सचिव